



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 28/02/2019

File No.

- (1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
- (5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
- (7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,


1. जिला कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

- विषय :- 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बड़कुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।
2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितॄल, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड- बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत— श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाड़ा तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मनू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मनू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने, जाति सूचक गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 है. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 है. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किय गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं. 635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।


(डॉ. ललित लट्टा) 26/1/2019
निदशक

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें।
2. श्री फग्गूलाल, ग्राम बड़कुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा
3. श्रीमती प्रभावाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरु, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड- बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोडी मोहल्ला, छिंदवाड़ा तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
6. श्री मनू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मनू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) कार्यवृत्त

अपीलकर्ता आवेदक :— श्री संदीप पिता श्री प्रेमसिंह उड़के निवासी लालबाग,

गोंडी मोहल्ला, तहसील जिला छिन्दवाड़ा

आयोग की फाईल नंबर

SU/16/2017/STGMP/DELAAL/RU-III

सुनवाई / बैठक की तिथि

21/01/2019

सुनवाई / बैठक में उपस्थित अधिकारी

परिशिष्ट 'क'

स्थान

सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

उपरोक्त विचाराधीन आवेदक की अपील / अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाड़ा प्रवास के समय कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

श्री संदीप पिता श्री प्रेमसिंह उड़के निवासी लालबाग, गोंडी मोहल्ला, तहसील जिला छिन्दवाड़ा

1. अपीलकर्ता / आवेदक श्री संदीप उड़के पिता श्री प्रेमसिंह जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, से दिनांक 08/3/2017 को आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसका परीक्षण किया गया और प्रकरण दर्ज कर नोटिस के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाने का निर्णय लिया गया।
2. सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नोटिस क्रमांक SU/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III दिनांक 01 Nov 2017 जारी करते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा को 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
3. सुनवाई निर्धारित होने एवं सुनवाई की दिनांक तक कलेक्टर छिन्दवाड़ा से किसी प्रकार की सूचना या प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई।
4. अपीलकर्ता की अपील तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मौजा छिन्दवाड़ा प.ह.न. 22 ब.नं. 177 खसरा क्रमांक 2027/1 रकबा 0.054 रा.नि.म. छिन्दवाड़ा की भूमि अपीलकर्ता तथा उसकी मौं श्रीमती सुषमा उड़के पति श्री प्रेमसिंह उड़के के नाम से सहखातेदारी में दर्ज है।
5. अपीलकर्ता की भूमि के बगल से अनावेदिका श्रीमती फातिमा बी पति श्री अकील अहमद लालबाग वार्ड नंबर 14 गोंडी मोहल्ला छिन्दवाड़ा की भूमि है तथा उसके द्वारा 16/06/2014 को जबरन


Anuvi
मुख्य अनुसूचित उड़के/Miss Anusuiya Uikay
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अपीलकर्ता जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का है की **6 x35** फिट भूमि पर अवैध कब्जा कर चारदीवारी बनाकर उपयोग किया जा रहा है।

6. इस प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा विधिवत् सीमांकन किया गया है और विभाग ने आवेदक की भूमि पर अनावेदिका का अवैध कब्जा पाया है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य हैं।

निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता उपस्थित हुआ उसके तथा प्रशासन के तथ्यों का श्वरण एवं अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन भूमि पर अपीलकर्ता का मालिकाना हक दर्ज है। यह भी स्पष्ट है कि अनावेदिका श्रीमती फातिमा बी पति श्री अकील अहमद जो कि सामान्य वर्ग की महिला है, द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।
- यह भी स्पष्ट है कि आयोग के प्रथम नोटिस जारी होने की दिनांक 08 सितम्बर 2017 के उपरांत से सुनवाई तक जिले के राजस्व प्रशासन द्वारा आवेदक की अपील तथा आयोग के नोटिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका।
- प्रकरण में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि 15 दिवस में प्रकरण का परीक्षण कर कब्जा दिलाने की आवश्यक कार्यवाही करते हुए तथ्यों से आयोग को अवगत करायें ताकि आवेदक की समस्या का निराण हो सके।
- अतएव 15 दिवस में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये संबंधित अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत करायें।
- आयोग के नोटिसों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यदि उक्त सभी प्रकरणों में प्रशासन ध्यान देता तो इनका निराकरण समयावधि में संभव था। कलेक्टर, आयोग के नोटिसों और पत्रों का उत्तर समयावधि में भिजवाने की व्यवस्था एवं स्वंयं की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।


(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuya Uilkey
उपाय्कर/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्टहृ क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता आवेदक :— श्री संदीप पिता श्री प्रेमसिंह उइके निवासी लालबाग,

गोंडी मोहल्ला, तहसील जिला छिन्दवाड़ा

आयोग की फाईल नंबर SU/16/2017/STGMP/DELAAL/RU-III

सुनवाई / बैठक की तिथि : 21st 01st 2019

स्थान : सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

- सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा।
- तहसीलदार, छिन्दवाड़ा श्री महेश अग्रवाल।

अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्री संदीप उइके छिन्दवाड़ा